मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-7

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

मंगलवार, दिनांक 4 मार्च, 2008 (फाल्गुन 14, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 9 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्न संख्या-8 (क्रमांक 816) पर चर्चा के दौरान शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यों ने बहिर्गमन किया। इसी प्रश्न पर समाजवादी पार्टी के सदस्य डॉ. सुनीलम्, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री हमीद काजी तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य श्री रामलखन शर्मा, सदस्य द्वारा भी बहिर्गमन किया गया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 69 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 62 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य ने सतना जिले में सैकड़ों ओव्हर लोडेड ट्रान्सफार्मर लगने के कारण ग्रामीण इलाकों में बिजली की परेशानी होने;

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले के लहार नगर में स्मेक जैसे मादक पदार्थों का अनियंत्रित विक्रय होने;

(3) श्री दरबूसिंह उईके, सदस्य ने बालाघाट जिले के बैहर तहसील एवं बालाघाट विकासखण्ड में विद्युत कटौती करने;

(4) श्री हरिशंकर खटीक, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले के अ.जा. विधान सभा क्षेत्र खरगापुर एवं पलेरा दोनों नगरों के सीमा क्षेत्र की सड़कें जीर्ण-शीर्ण होने;

(5) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य ने भोपाल शहर की शाहपुरा झील के चूना भट्टी नाले किनारे पर भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण करने;

(6) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य ने भोपाल नगर की प्राथमिक माध्यमिक शालाओं में कार्यरत सहायक शिक्षकों के स्थानांतरण से परीक्षा संचालन में व्यवधान उत्पन्न होने;

(7) श्री इन्द्रजीत कुमार पटेल, सदस्य ने प्रदेश में खंड लेखकों को पुराना पारिश्रमिक दिये जाने;

(8) श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला, सदस्य ने शासकीय हरपाल सिंह महाविद्यालय हरपालपुर में पुनः परीक्षा केन्द्र स्थानान्तरित किये जाने तथा

(9) श्री रामदास उईके, सदस्य ने छिन्दवाड़ा जिले के जनपद पंचायतों में पदस्थ संदेश वाहकों को दिये गये वेतन में विसंगति होने

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं.

3. ध्यानाकर्षण

(1) पं. रमेश दुबे, श्री मारोतराव खवसे, सदस्य ने छिंदवाड़ा जिले में पेंच राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के ग्रामों में वन्य प्राणियों द्वारा फसलों को नष्ट किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

कुंवर विजय शाह, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री प्रेमचन्द गुड्डू, सदस्य ने रतलाम जिले के आलोट क्षेत्र में पाले से फसल नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री इन्द्रजीत कुमार पटेल के नेतृत्व में संपूर्ण विपक्ष के सदस्यों ने शासन द्वारा किसानों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए बहिर्गमन किया)

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सभापति ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का चौवनवां से अड़सठवां तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(2) श्री दीवान सिंह पटेल, सभापति ने याचिका समिति का सातवां एवं आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

5. वक्तव्य

(1) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने दिनांक 18 जुलाई, 2007 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्रमांक 17) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

(2) श्री हिम्मत कोठारी, गृह मंत्री ने दिनांक 26 फरवरी, 2008 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्रमांक 109) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

6. वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा का पुनर्ग्रहण

दिनांक 3 मार्च 2008 से प्रारंभ हुई चर्चा के क्रम में

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(8) श्री शंकरलाल तिवारी

(9) श्री रामनिवास रावत

(10) डॉ. सुनीलम्

(11) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

(अपराह्न 1.00 बजे से 2.34 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(12) श्री प्रियव्रत सिंह
(13) श्री दुर्गालाल विजय
(14) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(15) श्री ताराचंद बावरिया
(16) श्री कपूरचंद घुवारा
(17) श्री इन्द्रजीत कुमार पटेल

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

7. संविहित संकल्प

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

" यह सदन मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 5-क के साथ पठित धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (क क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बनाये गए मध्यप्रदेश विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (रेल द्वारा निःशुल्क अभिवहन) नियम, 1996 में किये गए संशोधनों का, जो संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 34-एक(8)-12-07-दो-अड़तालीस, दिनांक 8 जनवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 23, दिनांक 10 जनवरी, 2008 में प्रकाशित किये गए हैं, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसरण में अनुमोदन करता है.".

संकल्प प्रस्तुत हुआ।
संकल्प स्वीकृत हुआ।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री करण सिंह वर्मा, राज्यमंत्री ग्रामोद्योग ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 1 सन् 2008) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री करण सिंह वर्मा, राज्यमंत्री ग्रामोद्योग ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 1 सन् 2008) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

9. अध्यक्षीय घोषणा

विशेषाधिकार भंग की विचाराधीन सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि -

"मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 164 के अंतर्गत विधान सभा के माननीय सदस्य श्री जालम सिंह पटेल, सुश्री अर्चना चिटणीस, स्व. श्री लवकेश सिंह, श्रीमती सरोज बच्चन नायक एवं श्री गजराज सिंह सिकरवार की ओर से माननीय लोकायुक्त एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों के विरूद्ध विशेषाधिकार भंग की 5 अलग-अलग सूचनाएं माह अक्टूबर, 2007 में प्राप्त हुई थी।

माननीय सदस्यों की ओर से प्राप्त विशेषाधिकार हनन की सूचनाओं के संबंध में प्राप्त सूचनाओं की प्रतियां, लोकायुक्त एवं उनके संगठन के संबंधित अधिकारियों को विधान सभा सचिवालय के पत्र दिनांक 15.10.2007 एवं 17.10.2007 प्रेषित कर 7 दिनों के भीतर टीप/अभिमत चाहा गया था। निश्चित समयावधि में उत्तर प्राप्त न होने पर विधान सभा सचिवालय के पत्र दिनांक 26.10.2007 के द्वारा 15 दिनों का और समय देते हुए संबंधितों से पृथक-पृथक उत्तर चाहा गया था।

उक्त के संबंध में जस्टिस रिपुसूदन दयाल, लोक-आयुक्त एवं अन्य की ओर से सिविल याचिका क्रमांक 613/2007 सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, जिसमें अध्यक्ष विधान सभा, मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन, माननीय सदस्य श्री जालम सिंह पटेल, सुश्री अर्चना चिटणीस, स्व. श्री लवकेश सिंह, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, श्री गजराज सिंह सिकरवार एवं विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत उक्त याचिका के संबंध में सदन की अनुमति की प्रत्याशा में मैंने विधान सभा सचिवालय का पक्ष सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया था और मामले की पैरवी हेतु महाधिवक्ता को निर्देशित किया गया था। प्रकरण अभी सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा लिये गये निर्णय से सदन की सहमति है।"

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

अपराह्न 4.50 बजे विधानसभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 5 मार्च, 2008 (फाल्गुन 15, शक संवत् 1929) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.